चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : परीक्षा/डी0आर0/9215
दिनांक : 18.12.2024

अधिसूचना

विषय :– **चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में संचालित एन0ई0पी0–2020 के अन्तर्गत संचालित स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों सम्बन्धी अध्यादेश।**

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में सत्र 2021-22 से एन0ई0पी0–2020 के अन्तर्गत स्नातक (B.A./B.Sc./B.Com.) पाठ्यक्रम संचालित हैं। जबकि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर में सत्र 2022-23 से एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में सत्र 2024-25 से एन0ई0पी0–2020 के अन्तर्गत परास्नातक (M.A./ M.Sc./ M.Com.) पाठ्यक्रम संचालित हैं।

उक्त पाठ्यक्रमों के संचालन सम्बन्धी नियमों के अद्यतन अध्यादेश इस पत्र के साथ संलग्न हैं। कृपया अध्यादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए समस्त छात्र/छात्राओं को भी नियमों से अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

18/12/24
परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

01. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक/नोडल अधिकारी, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान/परीक्षा केन्द्र/नोडल केन्द्र, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ तथा समस्त विभागाध्यक्ष/समन्वयक, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
02. सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
03. व्यैक्तिक सहायक, निदेशक (अकादमिक) को निदेशक (अकादमिक) जी के सूचनार्थ।
04. व्यैक्तिक सहायक, वित्त अधिकारी को वित्त अधिकारी जी के सूचनार्थ।
05. व्यैक्तिक सहायक, कुलसचिव को कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
06. व्यैक्तिक सहायक, परीक्षा नियंत्रक को परीक्षा नियंत्रक जी के सूचनार्थ।
07. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ को सूचनार्थ।
08. उप कुलसचिव/प्रभारी (परीक्षा/गोपनीय)।
09. प्रभारी–अति गोपनीय विभाग/कमेटी सैल/बी0एड0 सैल/व्यवसायिक पाठ्यक्रम।
10. विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत समस्त एजेंसियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. विश्वविद्यालय प्रेस प्रवक्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. विश्वविद्यालय पूछताछ केन्द्र।

18/12/24
उप कुलसचिव (परीक्षा)

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

विज्ञप्ति

विषय : राष्ट्रीय शिक्षा नीति (N.E.P-2020) के अन्तर्गत स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों (बी0ए0/बी0एससी0/बी0कॉम0) हेतु अध्यादेश।

ग्रेडिंग तालिका (Grading Table)

लेटर ग्रेड	विवरण	अंको की सीमा	ग्रेड पॉइंट
O	Outstanding	91-100	10
A^+	Excellent	81-90	9
A	Very good	71-80	8
B^+	Good	61-70	7
B	Above Average	51-60	6
C	Average	41-50	5
P	Pass	33-40	4
F	Fail	0-32	0
AB	Absent	Absent	0
Q	Qualified		
NQ	Not Qualified		

2. उत्तीर्ण प्रतिशत

2.1 Qualifying पेपर्स में Qualified के लिए Q ग्रेड तथा Not Qualified के लिए NQ ग्रेड दिया जायेगा।

2.2 उपरोक्त तालिका में मुख्य एवं माइनर विषयों का प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल सभी) Credit Course है तथा इन सभी का उत्तीर्ण प्रतिशत अब तक प्रचलित 33 प्रतिशत ही होगा।

2.3 छः सह–पाठ्यक्रम कोर्स (co-curricular courses) तथा तृतीय वर्ष में लघु शोध परियोजना (Minor Research Project) Qualifying हैं तथा इनके उत्तीर्णांक 40% होगें।

2.4 कौशल विकास/रोजगार परक कोर्स/पेपर का मूल्यांकन कुल पूर्णांक 100 में से होगा। जिनमें से प्रशिक्षण/ट्रेनिंग/प्रैक्टिकल आधारित कार्य का मूल्यांकन 60 अंकों में से होगा तथा सैद्धांतिक (Theory) आधारित कार्य का मूल्यांकन 40 अंकों में से होगा। उल्लेखनीय है कि चारों कौशल विकास कोर्स में आन्तरिक परीक्षायें सम्पन्न नहीं करायी जायेंगी। कौशल विकास कोर्स/पेपर में कुल पूर्णांक 100 में से न्यूनतम उत्तीर्णांक 40 होंगे। प्रशिक्षण/ट्रेनिंग एवं सैद्धांतिक (Theory) में अलग–अलग कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे।

Vocational/Skill Development विषयों की परीक्षाओं का आयोजन विश्वविद्यालय द्वारा न करवाकर सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा करवाया जायेगा। ऐसे छात्र जिनके Skill Development पाठ्यक्रम में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त होते हैं, की उत्तर पुस्तिका विश्वविद्यालय में भेजना अनिवार्य होगा।

2.5 सभी विषयों के मुख्य/माइनर/सह–पाठ्यक्रम/लघु शोध के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल सभी) में अधिकतम अंक 100 में से प्राप्तांकों की गणना 25 अंकों के सतत् आन्तरिक मूल्यांकन व 75 अंकों की विश्वविद्यालय (बाह्य) परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ कर की जायेगी।

2.6 मुख्य एवं माइनर विषयों के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल सभी) में उत्तीर्ण होने हेतु (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से न्यूनतम 25 अंक (75 का 33 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करने होंगे।

2.7 सह–पाठ्यक्रम (Co-curricular) विषयों के प्रत्येक कोर्स/पेपर में उत्तीर्ण होने हेतु आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करने होंगे। अर्थात् विश्वविद्यालय परीक्षाओं में कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होगा। **(विद्वत् परिषद् की बैठक दिनांक 18.01.2024 के मद संख्या–12 में लिया गया निर्णय)**

क्रमशः.....02

2.8 किसी भी कोर्स/पेपर के आन्तरिक मूल्यांकन में कोई भी न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत नहीं है। यदि किसी विद्यार्थी को आन्तरिक मूल्यांकन में शून्य अंक व बाह्य परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 33 (मुख्य एवं माइनर विषयों में) अथवा 40 (सह–पाठ्यक्रम/लघु शोध विषयों में) प्रतिशत अंक मिलते हैं, तब भी वह उत्तीर्ण होगा। आन्तरिक मूल्यांकन में पूर्ण अनुपस्थिति पर भी शून्य अंक ही मिलेगें।

2.9 किसी भी प्रकार के कृपांक (Grace marks) नहीं दिये जायेगें।

2.10 यदि कोई छात्र/छात्रा मेजर/माइनर विषयों की विश्वविद्यालय परीक्षा (वाह्य परीक्षा) में न्यूनतम निर्धारित 25 अंक प्राप्त करने में असफल रहता है तो परीक्षा परिणाम में वाह्य परीक्षा के सम्मुख F (Fail) अंकित किया जायेगा।

2.11 यदि कोई छात्र/छात्रा मेजर/माइनर विषयों की वाह्य परीक्षा एवं आन्तरिक परीक्षा में कुल मिलाकर न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करने में असफल रहता है तो वाह्य एवं आन्तरिक परीक्षा के योग के सम्मुख F (Fail) अंकित किया जायेगा।

3. कक्षोन्नति (Promotion)

3.1 विद्यार्थी को वर्तमान सेमेस्टर से अगले सेमेस्टर में सदैव प्रोन्नत किया जायेगा, चाहे वर्तमान सेमेस्टर का परिणाम कुछ भी हो।

4. बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) परीक्षा

4.1 आन्तरिक परीक्षा में बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) हेतु परीक्षा नहीं होगी। केवल पूर्ण सेमेस्टर को बैक परीक्षा के रूप में दोबारा देने की स्थिति में विश्वविद्यालय परीक्षा के साथ आन्तरिक मूल्यांकन भी किया जा सकता है किंतु एक विद्यार्थी दो पूर्ण सेमेस्टर्स की संपूर्ण परीक्षाएं एक साथ नहीं दे सकेगा।

4.2 विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) की सुविधा सम (विषम) सेमेस्टर्स के पेपर्स के लिए सम (विषम) सेमेस्टर्स में ही उपलब्ध होगी।

4.3 विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) हेतु परीक्षा के लिए कोर्स/पेपर तथा उसका पाठ्यक्रम (Syllabus) वही होगा जो उस वर्तमान सेमेस्टर जिसमें वह परीक्षा दे रहा है में उपलब्ध होगा।

4.4 विद्यार्थी बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) हेतु किसी भी कोर्स/पेपर की विश्वविद्यालय (बाह्य) परीक्षा काल बाधित न होने तक चाहे कितनी भी बार दे सकता है किंतु यह व्यवस्था वर्तमान वर्ष से केवल 1 वर्ष पहले के पेपर्स के लिए ही उपलब्ध होगी।

4.5 कोई छात्र/छात्रा एक सेमेस्टर में एक साथ दो से अधिक स्किल डेवलपमेण्ट कोर्स (कौशल विकास पाठ्यक्रम) की परीक्षा नहीं दे सकेगा।

4.6 कोई छात्र/छात्रा एक सेमेस्टर में एक साथ दो से अधिक को–करिकुलर कोर्स की परीक्षा नहीं दे सकेगा।

4.7 सी0बी0सी0एस0 प्रणाली में पूर्ण सेमेस्टर के सभी पेपर्स में अनुपस्थित अथवा अनुत्तीर्ण होने पर ही विद्यार्थी पूर्ण सेमेस्टर की परीक्षा देगा। यदि विद्यार्थी ने कुछ पेपर उत्तीर्ण कर लिए हैं तो भविष्य के सेमेस्टर के साथ विद्यार्थी को उन्हीं पेपर्स की परीक्षा बैक पेपर के रूप में उत्तीर्ण करनी होगी जिन पेपर्स में वह पहले अनुपस्थित अथवा अनुत्तीर्ण रहा था।

4.8 वर्तमान सेमेस्टर का विद्यार्थी पिछले किसी एक सेमेस्टर के अधिकतम 18 क्रेडिट के पेपर्स की परीक्षा में बैक पेपर के रूप में सम्मिलित होने हेतु अनुमत होगा। **उदाहरणार्थ**–तृतीय सेमेस्टर में अध्ययनरत् विद्यार्थी तृतीय सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा के साथ प्रथम सेमेस्टर के अधिकतम 18 क्रेडिट के पेपर कोड की बैक पेपर की परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनुमत होगा।

4.9 ऐसे छात्र/छात्रा जो प्रयोगात्मक परीक्षा में अनुपस्थित अथवा अनुत्तीर्ण होते है, को बैक पेपर के रूप में सम्मिलित होकर प्रयोगात्मक परीक्षा उत्तीर्ण करना अनुमत होगा।

4.10 चूंकि पंचम एवं प्रथम सेमेस्टर तथा छठे एवं द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षायें एक ही तिथि एवं समय पर आयोजित होती है इसलिये पंचम सेमेस्टर एवं छठे सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे परीक्षार्थियों को क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा के बैक पेपर में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। ऐसे छात्र जो पंचम एवं छठे सेमेस्टर तक भी प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की कुछ परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण रह जाते हैं, को छठा सेमेस्टर पूर्ण कर लेने के पश्चात् ही प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की बैक पेपर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

5. काल अवधि

किसी भी एक वर्ष को पूरा करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी।

व्याख्या (Explanation) :– यदि विद्यार्थी सत्ता में तीनों वर्ष की पढ़ाई करता है तो उसे अधिकतम नौ वर्ष मिलेगें किन्तु यदि विद्यार्थी किसी एक वर्ष का सर्टिफिकेट/डिप्लोमा लेकर चला जाता है तो वह बाकी के वर्षों की पढ़ाई दोबारा शुरू करने के लिए कभी भी वापस आ सकता है तथा उसे आगे के वर्षों की पढ़ाई पूरा करने के लिए तीन वर्ष (प्रति एक वर्ष की पढ़ाई) के मिलेगें।

क्रमशः.....03

6. SGPA एवं CGPA की गणना

6.1 SGPA एवं CGPA की गणना निम्नवत सूत्रों से की जाएगी:—

jth सेमेस्टर के लिए SGPA (Sj) =∑(Ci x Gi) /∑Ci	यहाँ पर: Ci = number of credits of the ith course in jth semester. Gi= grade point scored by the student in the ith course in jth semester.
CGPA = ∑(Cj x Sj) /∑Cj	यहाँ पर: Sj= SGPA of the jth semester. Cj= total number of credits in the jth semester.

6.2 CGPA को प्रतिशत अंको में निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिवर्तित किया जायेगा:

समतुल्य प्रतिशत =CGPA x 9.5

6.3 विद्यार्थियों को निम्नवत सारणी के अनुसार श्रेणी (Division) प्रदान की जाएगी:

ग्रेडिंग तालिका (Grading Table)

श्रेणी	वर्गीकरण
प्रथम श्रेणी	6.50 अथवा उससे अधिक तथा 10.00 अथवा उससे कम CGPA
द्वितीय श्रेणी	5.00 अथवा उससे अधिक तथा 6.50 से कम CGPA
तृतीय श्रेणी	4.00 अथवा उससे अधिक तथा 5.00 से कम CGPA

6.4 SGPA एवं CGPA की गणना छात्र/छात्रा द्वारा परीक्षा फार्म में भरे गये पेपर्स के कुल ग्रेड वैल्यू को कुल क्रेडिट से भाग देकर की जायेगी।

7. शोध परियोजना के विषय में निर्णय :—

7.1 स्नातक स्तर पर विद्यार्थी को तीसरे वर्ष के पंचम व छठे सेमेस्टर में मिलाकर एक लघु शोध परियोजना करनी होगी। एन0ई0पी0—2020 के अन्तर्गत संचालित स्नातक पाठ्यक्रमों के तृतीय वर्ष में चयनित किये जाने वाले Industrial Training/Survey/Research Project (शोध परियोजना) को Minor Research Project (लघु शोध परियोजना) कहा जाये।

7.2 यह लघु शोध परियोजना विद्यार्थी द्वारा चुने गये तीसरे वर्ष के दो मुख्य विषय में से किसी एक विषय से सम्बन्धित होगी। यह लघु शोध परियोजना इण्डस्ट्रीयल ट्रेनिंग/इण्टरनशिप/सर्वे वर्क इत्यादि के रूप में भी हो सकती है।

7.3 लघु शोध परियोजना सम्बन्धित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर के विभाग के एक शिक्षक सुपरवाईजर के निर्देशन में की जायेगी, एक अन्य को—सुपरवाईजर किसी उद्योग/कम्पनी/तकनीकी संस्थान/शोध संस्थान से लिया जा सकता है।

7.4 स्नातक स्तर पर Minor Research Project (लघु शोध परियोजना) का कार्य पंचम एवं छठे दोनों सेमेस्टर में किया जायेगा किन्तु इसका मूल्यांकन छठे सेमेस्टर में ही किया जायेगा।

7.5 पंचम सेमेस्टर के स्नातक छात्रों द्वारा चयन किये गये दो Major Subjects में से किसी एक विषय का Minor Research Project (लघु शोध परियोजना) चयनित किया जाना अनिवार्य होगा जो छठे सेमेस्टर की परीक्षाओं से पूर्व समाप्त करना होगा। पंचम सेमेस्टर में चुने गये Minor Research Project (लघु शोध परियोजना) को छठे सेमेस्टर में परिवर्तित करने का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा।

7.6 स्नातक पंचम सेमेस्टर की अंकतालिका में Minor Research Project (लघु शोध परियोजना) का उल्लेख नहीं किया जायेगा।

8. एन0ई0पी0—2020 के अन्तर्गत संचालित स्नातक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्र जो एन0सी0सी0 "B" Certificate हेतु प्रशिक्षणरत हैं को प्रथम वर्ष में लिये जाने वाले Minor विषय से छूट प्राप्त होगी तथा ऐसे छात्र जो एन0सी0सी0 "C" Certificate हेतु प्रशिक्षणरत हैं को स्नातक द्वितीय वर्ष में लिये जाने वाले Minor विषय से छूट प्राप्त होगी। इसके लिए निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी :—

i. ऐसे छात्र जो स्नातक प्रथम वर्ष में विश्वविद्यालय परिसर/महाविद्यालय में एन0सी0सी0 "B" Certificate हेतु प्रशिक्षणरत हैं को द्वितीय सेमेस्टर में Minor विषय के स्थान पर विषय कोड QNCCB का चयन करना होगा। ऐसे छात्र जो स्नातक में वि0वि0 परिसर/महाविद्यालय में एन0सी0सी0 "C" Certificate हेतु प्रशिक्षणरत हैं को चतुर्थ सेमेस्टर में Minor विषय के स्थान पर विषय कोड QNCCC का चयन करना होगा।

क्रमशः.....04

चूँकि एन0सी0सी0 "B" Certificate दो वर्षों के उपरान्त प्राप्त होता है अतः सम्बन्धित महाविद्यालय/विभाग छात्र को "B" Certificate प्राप्त होने के पश्चात निर्धारित अंकों का आगणन कर अंक विश्वविद्यालय पोर्टल पर अपलोड करेगा तत्पश्चात् छात्र के द्वितीय सेमेस्टर के Minor विषय के अंक अपलोड कर दिये जायेंगे। इसी प्रकार एन0सी0सी0 "C" Certificate प्राप्त होने के पश्चात महाविद्यालय/विभाग द्वारा प्रेषित किये गये अंक छात्र की चतुर्थ सेमेस्टर की अंकतालिका में Minor विषय के सम्मुख अंकित किये जायेंगे। ऐसे छात्र जो Minor विषय के स्थान पर एन0सी0सी0 का विकल्प चुनते हैं के वास्तविक एन0सी0सी0 के अंक अपलोड होने से पूर्व तक Minor विषय के अंक के स्थान पर Later लिखा जायेगा।

ii. ऐसे छात्र जो स्नातक पाठ्यक्रम में सीधे एन0सी0सी0 "C" Certificate हेतु पंजीकृत होते हैं को केवल प्रथम वर्ष में Minor विषय के स्थान पर NCC का चयन करने का विकल्प उपलब्ध होगा। ऐसे छात्रों को स्नातक द्वितीय वर्ष के किसी एक सेमेस्टर में कोई अन्य Minor विषय का चयन करना होगा।

iii. एन0सी0सी0 में प्राप्त अंक भी अन्य Minor विषयों की तरह होंगे तथा इसका कुल पूर्णांक 100 होगा अर्थात् 25 अंक आंतरिक परीक्षा के होंगे जो महाविद्यालय/विभाग के ANO द्वारा छात्र को प्रदान किये जायेंगे। बाह्य परीक्षा 75 अंकों की होगी जो एन0सी0सी0 बटालियन द्वारा "B" अथवा "C" Certificate परीक्षा के आधार पर परीक्षा में प्राप्त अंकों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किये गये समतुल्यता फार्मूले के आधार पर आगणित किये जायेंगे।

परीक्षा नियंत्रक

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

NEP-2020 के अंतर्गत स्नातकोत्तर/परास्नातक (एम0ए0, एम0एस0सी0, एम0काम0) स्तर हेतु परीक्षा परिणाम/ग्रेडिंग प्रणाली एवं बैक पेपर सम्बन्धी अध्यादेश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020,चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर में स्नातकोत्तर/परास्नातक स्तर पर शासनादेश संख्या–401/सत्तर–3–2022, दिनांक : 09 फरवरी 2022 के अनुसार एवं विद्वत परिषद की बैठक दिनांक 14.06.2022 के मद संख्या–06 के द्वारा सत्र 2022–23 से विश्वविद्यालय परिसर तथा विद्वत परिषद की बैठक दिनांक 29.05.2024 के मद संख्या–12(3) में लिये गये निर्णय के अनुसार सत्र 2024–25 से समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों में भी लागू की गई है।

तालिका–1 (Table-1)

लैटर ग्रेड	विवरण	अंको की सीमा	ग्रेड पॉइंट
O	Outstanding	91-100	10
A^+	Excellent	81-90	9
A	Very good	71-80	8
B^+	Good	61-70	7
B	Above Average	51-60	6
C	Average	41-50	5
P	Pass	36-40	4
F	Fail	0-35	0
AB	Absent	Absent	0
Q	Qualified		
NQ	Not Qualified		

2. उत्तीर्ण प्रतिशत

2.1 स्नातकोत्तर/परास्नातक कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पूर्व की भांति तीन वर्षीय स्नातक उपाधि आवश्यक होगी तथा प्रवेश के नियम व प्रक्रिया भी वही होगी जो विश्वविद्यालय ने अपनाई हुई है।

2.2 मुख्य एवं माइनर विषयों का प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल सभी) पूर्णांक 100 के Credit course है तथा इन सभी का उत्तीर्ण प्रतिशत 36 प्रतिशत होगा। वृहद शोध परियोजना के कोर्स/पेपर भी पूर्णांक 100 के Credit course है तथा इनका भी उत्तीर्णांक 36 प्रतिशत होगा।

2.3 सभी विषयों के मुख्य/माइनर के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल सभी) में अधिकतम अंक 100 में से प्राप्तांकों की गणना 30 अंकों के सतत् आन्तरिक मूल्यांकन व 70 अंकों की विश्वविद्यालय (बाह्य) परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ कर की जायेगी।

2.4 मुख्य एवं माइनर विषयों के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल सभी) में उत्तीर्ण होने हेतु (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 70 अंकों में से न्यूनतम 21 अंक (70 का 30 प्रतिशत) एवं आन्तरिक मूल्यांकन में पृथक रूप से अधिकतम 30 अंकों में से न्यूनतम 09 अंक (30 का 30 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर पूर्णांक 100 में से न्यूनतम 36 अंक प्राप्त करने होंगे।

2.5 आन्तरिक मूल्यांकन में उत्तीर्ण होने पर ही विद्यार्थी को उस कोर्स/पेपर की विश्वविद्यालय की बाह्य परीक्षा देने के लिए अनुमत किया जायेगा।

2.6 एन0ई0पी0–2020 के अन्तर्गत संचालित परास्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में चयनित किये जाने वाले Industrial Training/Survey/Research Project (शोध परियोजना) को Research Project (शोध परियोजना) कहा जाये।

क्रमशः.....2

2.7 एन0ई0पी0–2020 के अन्तर्गत संचालित परास्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर में छात्रों द्वारा एक Research Project (शोध परियोजना) का चयन किया जायेगा जिसका समापन द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाओं से पूर्व करना होगा तथा तृतीय सेमेस्टर में दूसरे Research Project (शोध परियोजना) का चयन किया जायेगा जिसका समापन चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाओं से पूर्व करना होगा।

2.8 परास्नातक प्रथम तथा तृतीय सेमेस्टरों की अंकतालिकाओं में Research Project (शोध परियोजना) का उल्लेख नहीं किया जायेगा तथा द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टरों की अंकतालिकाओं में 08–08 क्रेडिट के सापेक्ष Research Project (शोध परियोजना) का मूल्यांकन किया जायेगा।

2.9 शोध परियोजना एक वर्ष में कुल 08 क्रेडिटस् की होगी जो कि दो सेमेस्टर्स में सतत् कार्य करके पूर्ण करनी होगी विद्यार्थी को यह शोध परियोजना विभाग के एक पूर्णकालिक शिक्षक (Supervisor) के निर्देशन में करनी होगी। इस शोध का मूल्यांकन वर्ष के अंत में अधिकतम 100 अंकों में से किया जायेगा इस कोर्स/पेपर के न्यूनतम उत्तीर्णांक 36 प्रतिशत ही होंगे। विद्यार्थी को शोध परियोजना की रिपोर्ट/Dissertation/Thesis विभाग में जमा करनी होगी तथा उसे एक परीक्षक समिति (Board of Examiners) के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा। इस परीक्षक समिति में Supervisor एवं एक बाह्य विषय विशेषज्ञ (कुलपति जी द्वारा नामित) होंगे। विद्यार्थी को शोध परियोजना के मूल्यांकन में 80 से अधिक अंक निम्न उपलब्धि पर ही दिए जा सकेंगे :– शोध परियोजना में किए गए कार्य पर आधारित शोध पत्र प्रकाशित/Accepted करने पर (अ) 81 से 90 तक अंक यदि शोध पत्रिका वर्तमान UGC CARE list में सम्मिलित है। (ब) 91 अथवा अधिक अंक यदि शोध पत्रिका SCOPUS अथवा Web of Science में सम्मिलित है।

2.10 किसी भी प्रकार के कृपांक **(Grace marks)** नहीं दिये जायेगें।

2.11 स्नातक (शोध सहित) **(Graduation with Reseach)** अथवा परास्नातक/स्नातकोत्तर **(Post Graduation)** उपाधि प्राप्त करने हेतु न्यूनतम CGPA 4.0 प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2.12 विद्वत परिषद की बैठक दिनांक 29.05.2024 के मद संख्या–8 में एन0ई0पी0–2020 की बहुविषयात्मकता की अवधारणा के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया कि परास्नातक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्र अपने मुख्य विषय को छोड़कर किसी भी अन्य विषय के माईनर इलेक्टिव पाठ्यक्रम का अध्ययन कर सकेगा। अर्थात छात्र को अपने ही संकाय के अन्य विषय के अन्तर्गत संचालित माईनर इलेक्टिव पाठ्यक्रम का अध्ययन करने का भी अधिकार होगा।

3.कक्षोन्नति (Promotion)

3.1 विद्यार्थी को वर्तमान सेमेस्टर से अगले सेमेस्टर में सदैव प्रोन्नत किया जायेगा, चाहे वर्तमान सेमेस्टर का परिणाम कुछ भी हो। (विद्वत परिषद् का निर्णय दिनांक 26.11.2024)

3.2 स्नातकोत्तर कार्यक्रम का प्रथम वर्ष उच्च शिक्षा का चतुर्थ वर्ष होगा। इसको न्यूनतम 4.0 CGPA के साथ पूर्ण करके यदि कोई विद्यार्थी छोड़कर जाना चाहता है तो उसे स्नातक (शोध सहित) (Graduation with Research) की उपाधि दी जायेगी। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों को उपलब्ध, होगी जिन्होंने विश्वविद्यालय में लागू राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत त्रिवर्षीय स्नातक उपाधि पूर्ण की है।

4.बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) परीक्षा

4.1 विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) की सुविधा सम (विषम) सेमेस्टर्स के पेपर्स के लिए सम (विषम) सेमेस्टर्स में ही उपलब्ध होगी।

4.2 एक विद्यार्थी बैक पेपर के रूप में किसी एक सेमेस्टर में, मुख्य विषय के 12 क्रेडिट्स तक के थ्योरी व प्रेक्टिकल के पेपर ही ले सकेगा। एक विद्यार्थी दो पूर्ण सेमेस्टर्स की संपूर्ण परीक्षाएं एक साथ नहीं दे सकेगा।

4.3 विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा अंक सुधार (Improvement) हेतु परीक्षा के लिए कोर्स/पेपर तथा उसका पाठ्यक्रम (Syllabus) वही होगा जो उस वर्तमान सेमेस्टर जिसमें वह परीक्षा दे रहा है में उपलब्ध होगा।

4.4 विद्यार्थी **अनुत्तीर्ण कोर्स/पेपर में** बैक पेपर हेतु किसी भी कोर्स/पेपर की विश्वविद्यालय (बाह्य) परीक्षा कालबाधित न होने तक चाहे कितनी भी बार दे सकता है **किन्तु उत्तीर्ण विषयों में अंक सुधार हेतु केवल एक अवसर ही उपलब्ध होगा।**

क्रमशः.....3

4.5 आन्तरिक परीक्षा में उत्तीर्ण पेपर/कोर्स में बैक पेपर की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

5.काल अवधि

किसी भी एक वर्ष को पूरा करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी।

व्याख्या (Explanation) :– यदि विद्यार्थी सतत्ता में दोनों वर्ष की पढ़ाई करता है तो उसे अधिकतम छः वर्ष मिलेगें। किन्तु यदि विद्यार्थी प्रथम वर्ष के पश्चात स्नातक (शोध सहित) की उपाधि लेकर चला जाता है तो वह बाकी के एक वर्ष की पढ़ाई दोबारा शुरू करने के लिए कभी भी वापस आ सकता है तथा उसे आगे के एक वर्ष की पढ़ाई पूरा करने के लिए तीन वर्ष मिलेगें।

6.CGPA की गणना

6.1 SGPA एवं CGPA की गणना निम्नवत सूत्रों से की जाएगी :

jth सेमेस्टर के लिए SGPA (Sj) =∑(Ci x Gi) /∑Ci	यहाँ पर: Ci = number of credits of the ith course in jth semester. Gi= grade point scored by the student in the ith course in jth semester.
CGPA = ∑(Cj x Sj) /∑Cj	यहाँ पर: Sj= SGPA of the jth semester. Cj= total number of credits in the jth semester.

6.2 CGPAको प्रतिशत अंको में निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिवर्तित किया जायेगा :

समतुल्य प्रतिशत = CGPA x 9.5

6.3 विद्यार्थियों को निम्नवत सारणी के अनुसार श्रेणी (Division) प्रदान की जाएगी :

तालिका–2 (Table-2)

श्रेणी	वर्गीकरण
प्रथम श्रेणी	6.50 अथवा उससे अधिक तथा 10.00 से कम अथवा बराबर CGPA
द्वितीय श्रेणी	5.00 अथवा उससे अधिक तथा 6.50 से कम CGPA
तृतीय श्रेणी	4.00 अथवा उससे अधिक तथा 5.00 से कम CGPA

10+2/2017

परीक्षा नियंत्रक